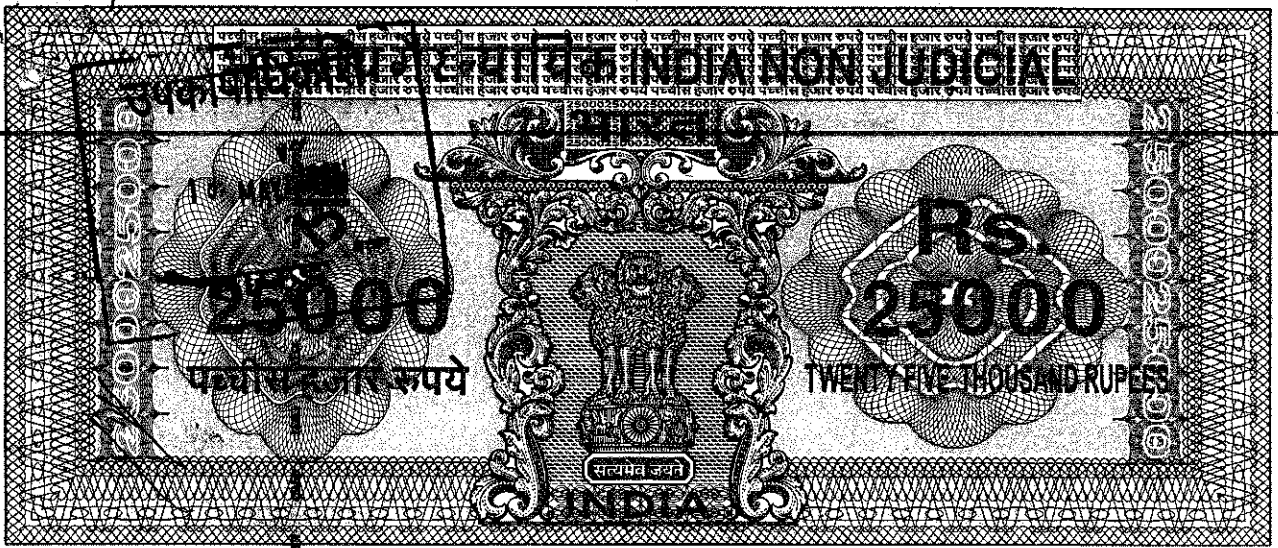




उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

B 136293

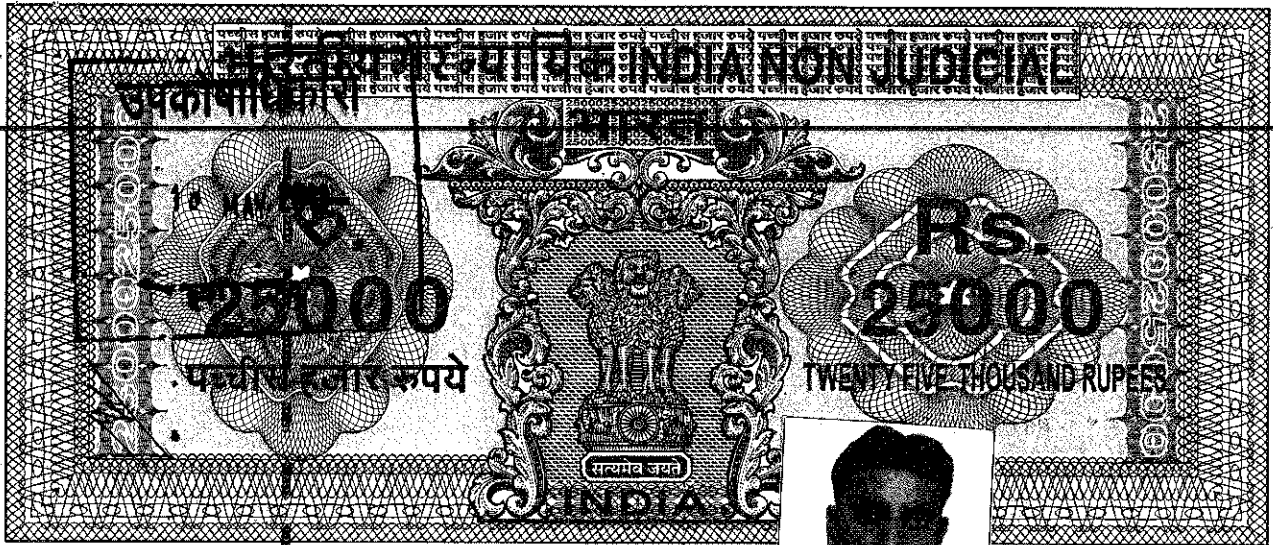
विक्रय विलेख भूमि

- 11/57
1. क्षेत्र —
 2. भूमि का प्रकार — कृषि
 3. परगना — हापुड
 4. ग्राम — हापुड
 5. भूमि का खसरा — 1490/1 आदि
 6. विक्रीत रकबा — 1054 वर्गमीटर
 7. मापन की इकाई — वर्गमीटर
 8. सड़क की स्थिति — 200 मीटर से अधिक दूर है।
 9. बैलामा अंकन — 21,51,041/-
 10. सरकारी कीमत — 31,63,000/-
 - कुल स्टाम्प शुल्क — 2,21,600/- (अंकन 43,000/- रुपये का स्टाम्प शुल्क रजिस्ट्री इकरारनामा दिनांक 13-04-2010 दस्तावेज नम्बर 2886 को एवं शेष 1,78,600/- रुपये का स्टाम्प शुल्क आज अदा किया गया है)
 11. सरकारी दर — पृष्ठ के अनुसार 3,000/- प्रतिवर्गमीटर है।
 12. स्थित ग्राम हापुड निकट मोहल्ला मोती कालौनी हापुड।



CHALCHARY UPENDRA SINGH
(Advocate)
Ha. Ha. (Ghaziabad)





उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH



B 136294

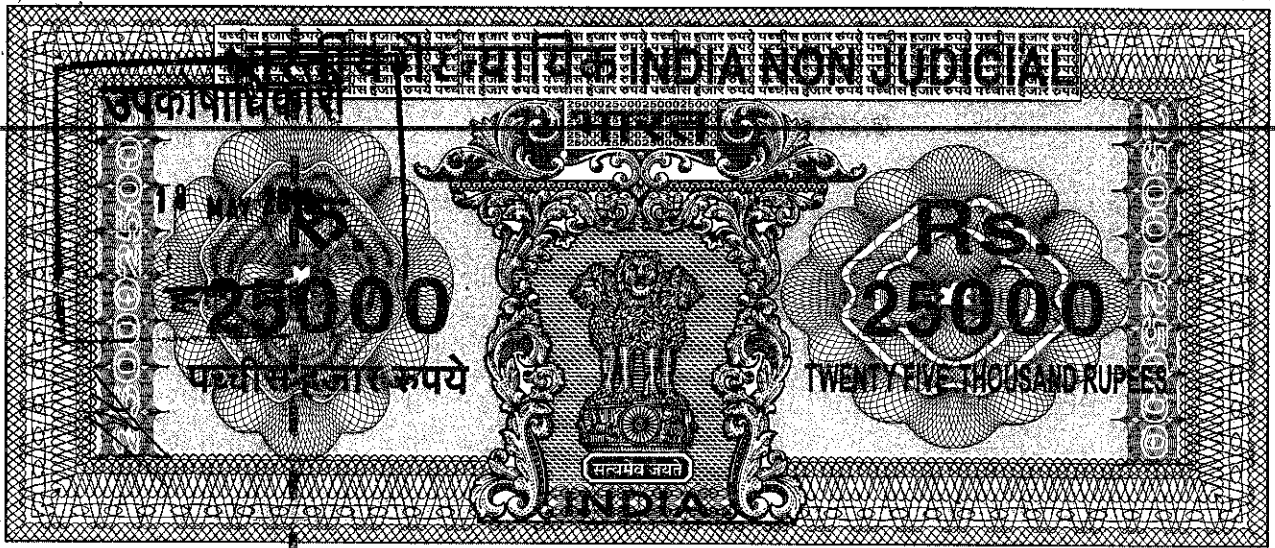
ENDRA SINGH
(Advocate)
Gh. Hapur (Ghaziabad)

2

हम कि मोहम्मद कैहद पुत्र स्व. साहिर निवासी सिकन्दरगट, भण्डापट्टी, हापुड परगना व तहसील हापुड जिला गाजियाबाद (विक्रेता) अन्तरणकर्ता व

मुजीब खान पुत्र श्री नजीब अहमद निवासी सी-3/13, सेक्टर - 71, नोएडा (क्रेता) अन्तरिति।





उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

B 136297

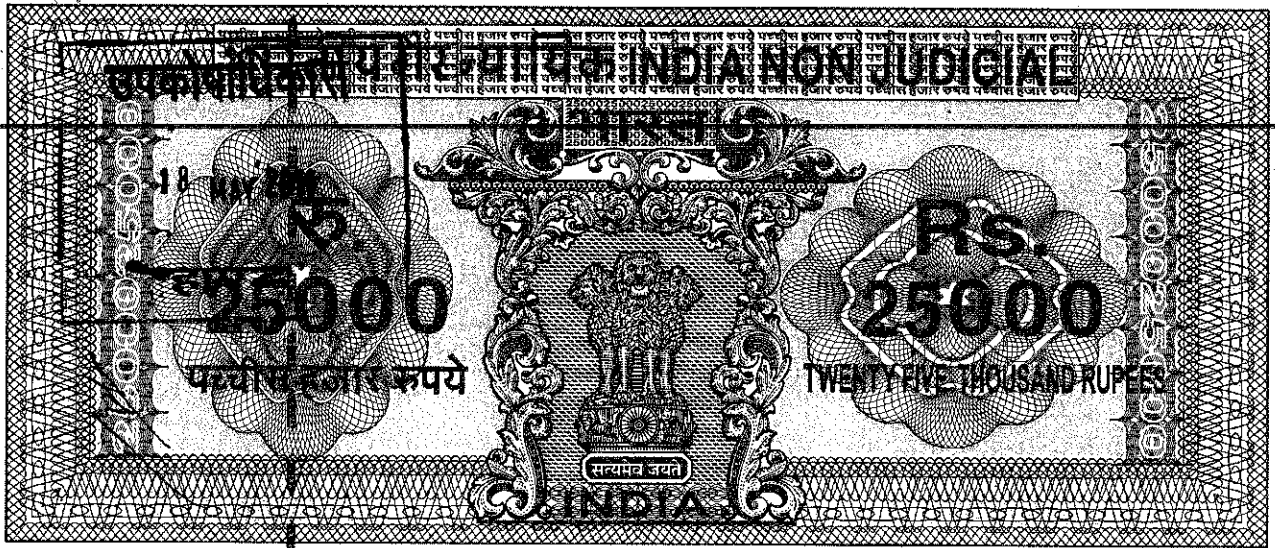
3

विक्रीत भूमि का विवरण :

स्थित हापुड, परगना व तहसील हापुड जिला गाजियाबाद में खाता संख्या 2010 खसरा संख्या 1490/1 रकबा 0.0560 हेक्टेयर व खसरा संख्या 1474 रकबा 0.1260 हेक्टेयर व खसरा संख्या 1475 रकबा 0.0890 हेक्टेयर व खसरा संख्या 1476/2 रकबा 0.6700 हेक्टेयर व खसरा संख्या 1478 रकबा 0.5690 हेक्टेयर व खसरा संख्या 1491 रकबा 0.1260 हेक्टेयर व खसरा संख्या 1492 रकबा 0.1900 हेक्टेयर, इस प्रकार कुल नम्बरान 7 इकजाई रकबा 1.8260 हेक्टेयर जिसपर 89.75 रुपये सालाना लगान निर्धारित है व खाता संख्या 2008 खसरा संख्या 1479/1 रकबा 0.0440 हेक्टेयर जिसपर 2.20 रुपये सालाना लगान निर्धारित है, इस प्रकार उक्त आठो नम्बरान में से विक्रेता ने अपना हमगी व तमामी पूर्ण भाग रकबा 0.1054 हेक्टेयर यानि 1054 वर्गमीटर भूमि इस लेख द्वारा विक्रय की है। अब अन्तरणकर्ता का कोई हक व हिस्सा उक्त खसरा संख्या में शेष नहीं बचा है और ना ही भविष्य में माना व समझा जावेगा।

जे.ए.ए.

11/11/24



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

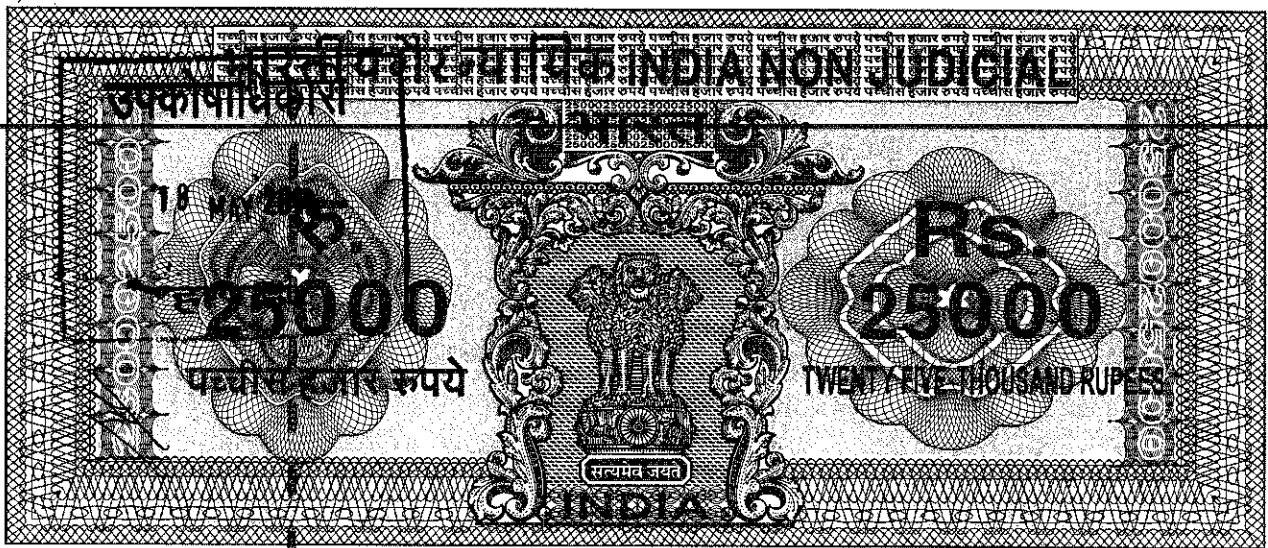
B 136295

4

विदित हो कि उक्त भूमि का अन्तरणकर्ता मालिक, स्वामी, काबिज है और उसको हस्तान्तरण करने का पूर्ण अधिकारी है जो कि आज दिन तक हर प्रकार के ऋण, हस्तान्तरण, भार, अधिभार आदि-आदि दोषों से मुक्त है तथा भार मुक्त एवं विवाद रहित है बैंक लोन व जमानत सरकारी व गैरसरकारी आदि-आदि से पाक साफ है, भूमि को विक्रय करने में किसी प्रकार की

५
५६६

[Handwritten signature]



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

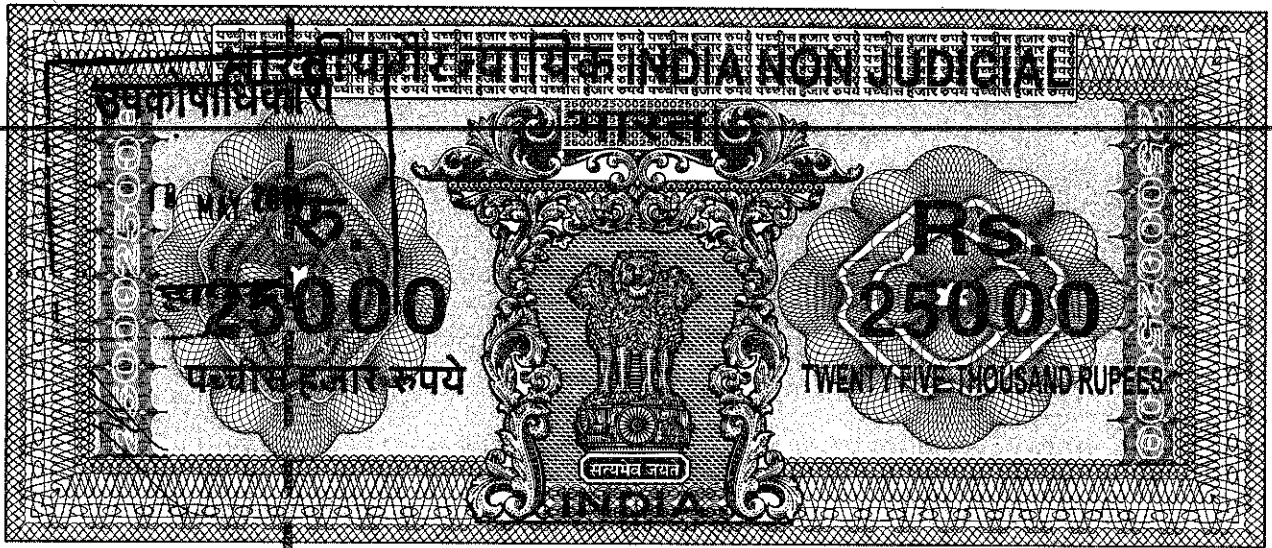
B 136296

5

वैधानिक या अवैधानिक आपत्ति नहीं है को अन्तरणकर्ता सब अधिकार व हर प्रकार स्वत्व भूमिधरी, बौ, जोत, डोला, मेढ, देनदारी, लगान सरकारी आदि-आदि को अपनी स्वेच्छा प्रसन्नता व स्वस्थ मनोबुद्धि की दशा मे बिना दबाव पढवाकर, सुनकर, समझकर तथा सन्तुष्ट होकर बदले अंकन 21,51,041/- रुपये आधे जिसके 10,75,520.50/- रुपये होते है, हाथ अन्तराति को पूर्ण प्रकार से अन्तरण किया व बेच दिया तथा कुल रुपया मे से अंकन 3,33,000/- रुपये रजिस्ट्री इकरारनामा पर व शेष 18,18,041/-

ॐ एव

मुमु 2/10



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

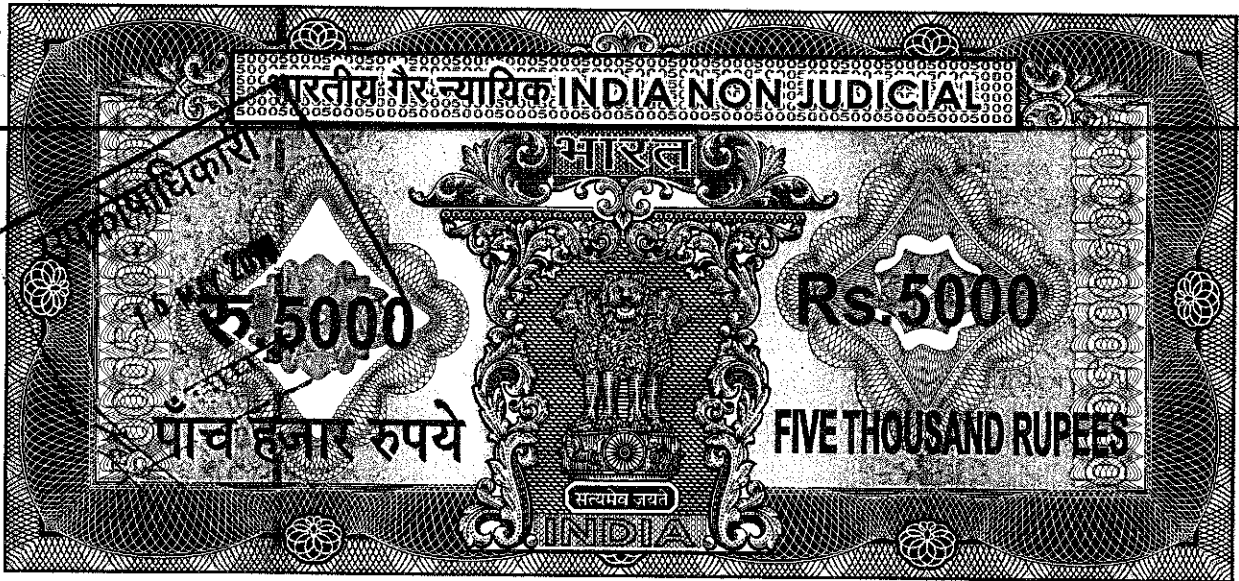
B 136298

6

रुपये पेशगी प्राप्त किया, मूल्य में कोई पैसा शेष नहीं बचा है और ना ही भविष्य में माना व समझा जावेगा, विक्रीत भूमि पर अन्तरिति को मालिक, स्वामी व काबिज करा दिया है, अधिकार का परिवर्तन हो गया है अब अन्तरणकर्ता व वारिसान अन्तरणकर्ता का विक्रीत भूमि में कोई हक व हिस्सा शेष नहीं रहा है और ना ही भविष्य में माना व समझा जावेगा, अमल दरामद अन्तरिति इसका

५६६

mark



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

V 234396

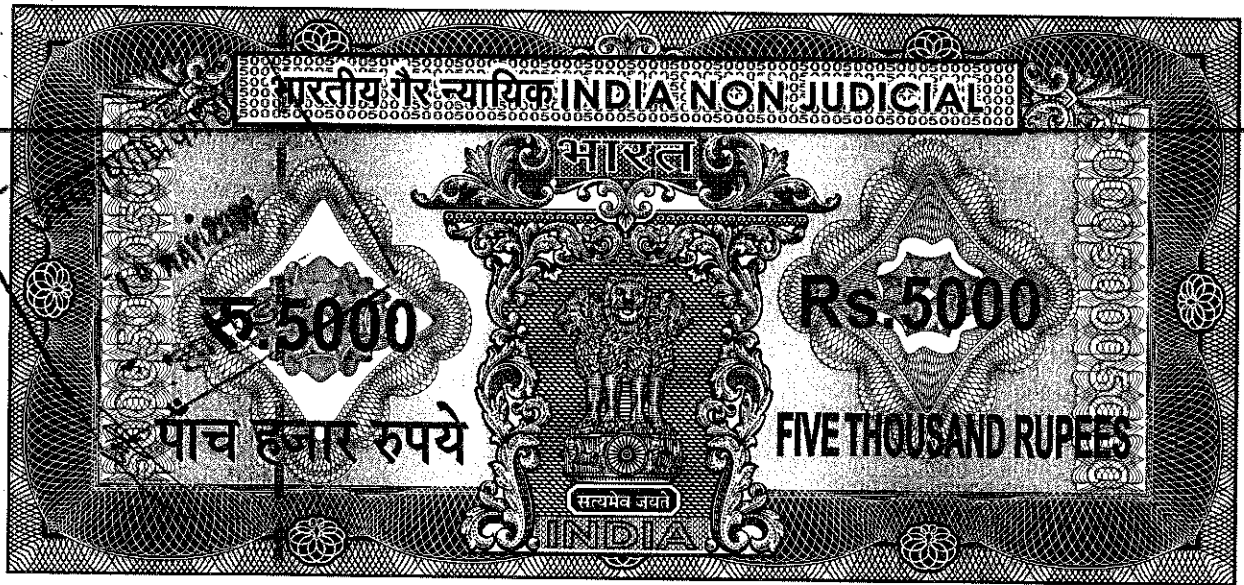
7

माल विभाग में करा ले। विक्रीत भूमि यदि किसी के वाद-विवाद से कुल या भाग विक्रय भूमि अन्तरिति के अधिकार व कब्जे से निकल जावे या अधिकार सुरक्षित करने के कारण अन्तरिति को कुछ रुपया ओर देना पड़े या विक्रीत भूमि आड, बय, लोन आदि-आदि से ग्रस्त पायी जाती है या अन्तरणकर्ता उक्त भूमि विक्रय करने के अधिकारी सिद्ध न हो तो ऐसी प्रत्येक दशा में अन्तरिति को

ॐ ए३

mc24





उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

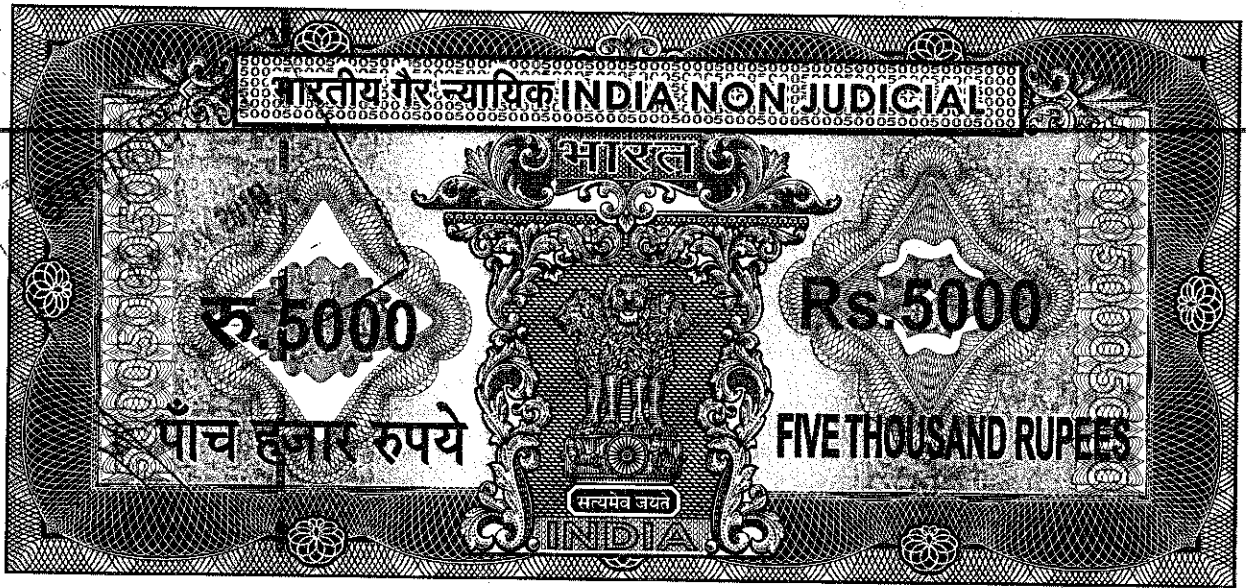
V 234397

8

अधिकार रहेगा कि वह उक्त भूमि का बाजार मूल्य या भाग वह रुपया जोकि उसकी और देना पडा हो मय हर्जा-खर्चा व ब्याज दर बाजार सहित नियमानुसार अन्तरणकर्ता व वारिसान अन्तरणकर्ता की चल-अचल सम्पत्ति से जिस प्रकार चाहे वापिस प्राप्त कर ले, अन्तरणकर्ता को कुछ विरोध नहीं होगा, अन्तरिक्ति भूमि मे कास्त करे या विक्रय करे, इसमें अन्तरणकर्ता को कोई

जे एच

मुरा



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

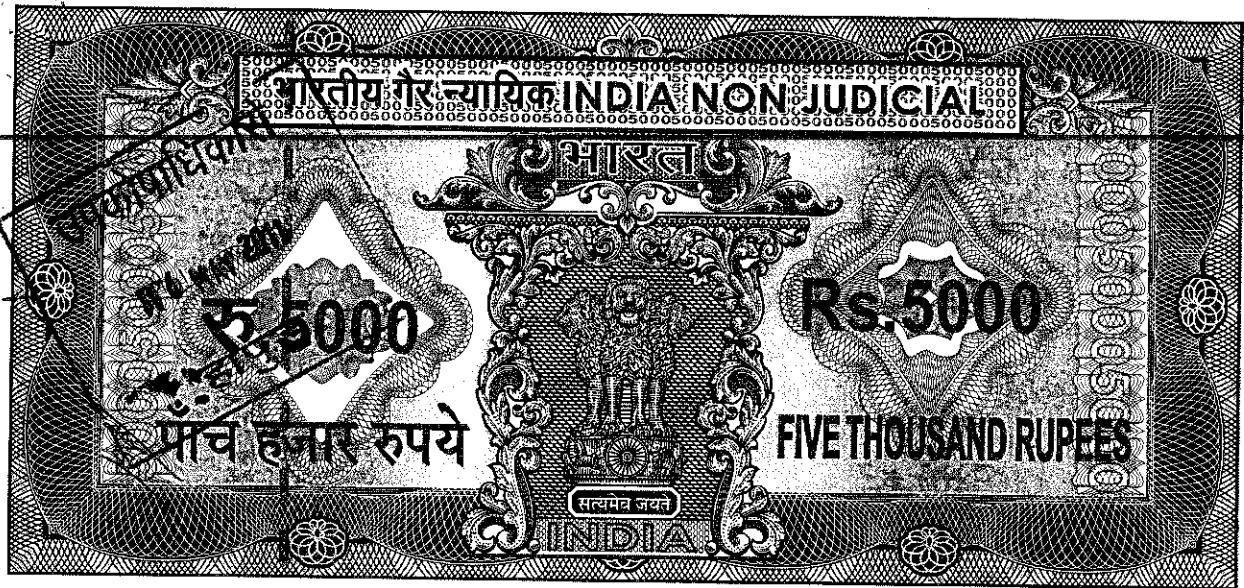
V 234398

9

आपत्ति नहीं होगी। कब्जा मौके पर अन्तरिति को करा दिया गया है, भारतीय
स्टाम्प अधिनियम की धारा 27 (1) के अन्तर्गत ऐसे सभी तथ्य तथा परिस्थितियाँ
जो स्टाम्प देयता को प्रभावित कर सकते हैं को विक्रय विलेख में सत्यतापूर्वक
अंकित कर दिये गये हैं, कोई तथ्य छुपाया नहीं गया है। उक्त विक्रय विलेख
पर शासनादेश संख्या स. वि. क. नि. 2756/11-2008-500 (165)/2007

५६५

mu 20



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

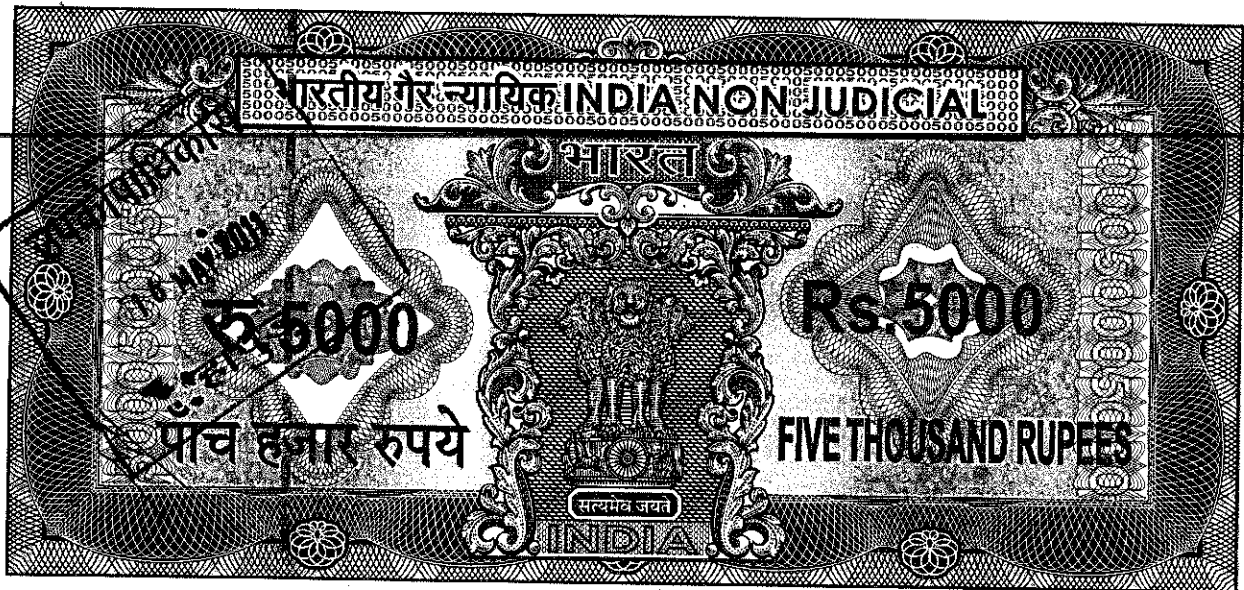
V 234378

10

दिनांक 30-06-2008 के अनुसार स्टाम्प शुल्क अदा किया गया है। भूमि किस्म

अ.प्र.

मु.प्र.



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

V 234379

11

बाडा व कच्छियाला नही है, उक्त भूमि ग्राम की आबादी के 200 मीटर की परिधि के बाहर है, क्रेता विक्रेता अनुसूचित जाति के नही है, भूमि मे कोई पेड

अर्थ

म. 234379



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

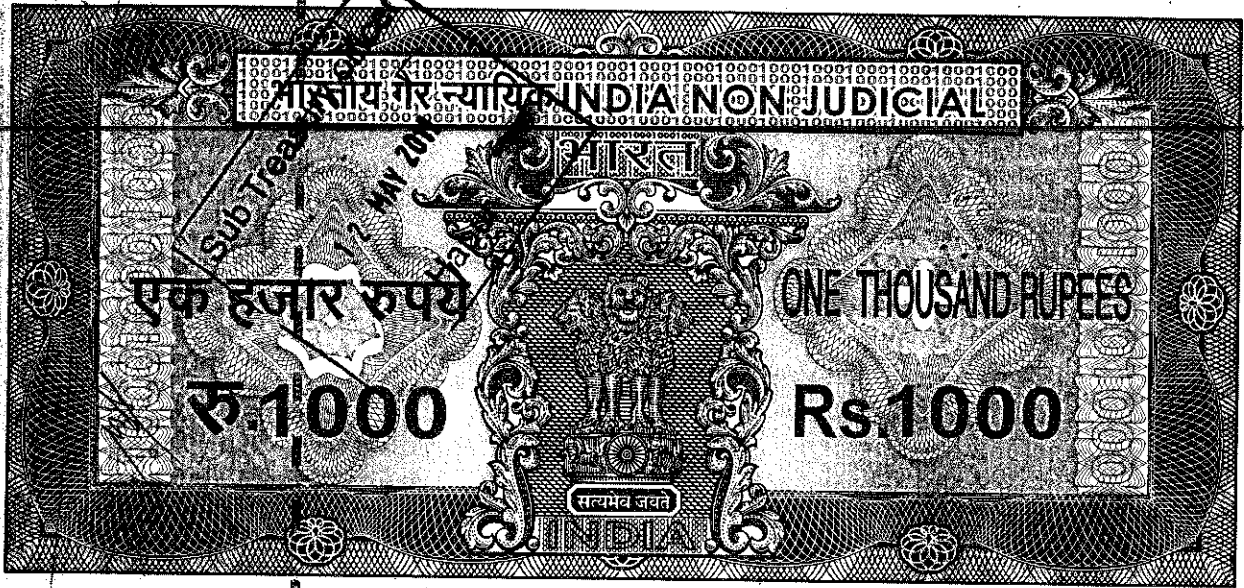
N 281884

12

या टैक्सवैल आदि नहीं लगा है, उक्त भूमि में वर्तमान में कृषि हो रही है, उक्त भूमि की सीमाएं संलग्न नक्शेनुसार है। उक्त भूमि किसी जनपदीय मार्ग, लिंक

जे. ए. ई.

मि. 2/10



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

N 281885

13

मार्ग अथवा राष्ट्रीय राजमार्ग पर नहीं है जो सड़क से लगभग 200 मीटर से

जे.ए.ई.

मु. 2/6



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

N 281886

14

अधिक दूर है।

अतः यह लेख विक्रय-विलेख अपनी स्वेच्छा, प्रसन्नता, सदबुद्धि व चेतन्य

उद्योग

मुद्रा



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

M 950007

15

मन की अवस्था में बिला दबाब लिखा दिया कि प्रमाण रहे और समय पर काम आवे। मसविदा स्वयं पक्षगण के कथनानुसार व दी गई सूचनाओं के आधार पर

ओ एन

मसविदा



